

7.12.15

पत्रावली का अन्वेषण कार्य के पत्र दिनांक 7.12.15 को प्रेषित किया गया। प्रकरण के अन्वेषण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया।

7.1.16

पत्रावली पेश हुई। वकील वासी हाजिर। शहिकादी के जारी सम्पन्न हासिल अदम हासिल अदम। ईलाक़ा सम्पन्न होकर मिसल दिनांक 27.1.16 को प्रेषित है।

P.S. इतना लिखने पर शहिकादी सं. 1 के अन्वेषण प्रेषित किया जा रहा है मिसल दिया गया।

27.1.16

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रफ़्फ़र हाजिर। P.O. सादल नसर पधारे है मिसल दिनांक 5.4.16 को प्रेषित है।

5.4.16

पत्रावली पेश हुई। वकील वासी हाजिर नहीं। शहिकादी कायमी लपकीयाल मिसल दिनांक 20.4.16 को प्रेषित है।

20.4.16

पत्रावली पेश हुई। वकील वासी हाजिर। शहिकादी के अदालत शिफ़ार को दिनांक 23.5.16 को प्रेषित है।


23.5.16


पत्रावली पेश हुई। वकील वासी हाजिर। सुना गया। पत्रावली का अन्वेषण ~~करा~~ दिया गया। प्रकरण के अन्वेषण

संश्लेष से इस प्रकार है कि वादी गफ्फर मोहम्मद
 प्रह्लादी सं. 1 कुलचक्र अ पुत्र हैं तथा ग्राम सांझा
 की जमानती संघर- 2069-72 के खाल सं. नया-पुराणा
 439-90) किला 2 रकबा 5-16-00 खाल सं. नया-
 पुराणा 490-439 कुल किला 1 कुल रकबा 1-20-00
 खाल सं. नया-पुराणा किला 1 रकबा 1-17-00 बीघा
 से पुराणी बराकर खालदारी कोषणा कुराबे हेतु 490
 मन्सूफि धारा 88, 188, 209 अटल के तहत
 तल्लक किया है।

हमने पञ्जाबी का कंफ्लेक्शन किया
 प्रह्लादी पर गौर किया। वकील वादी श्री
 भोवप्रकाश चौधरी को सुना। वादी का वाद
 मुस्लिम विधि के अनुसार वादी अपने जीवित
 बिल से सम्पत्ति साह करने का इकहार नहीं
 है बल्कि वादी का वाद सरहीन होने से
 खासि किया जाता है मियाल नंबर से क्रम
 लेकर सुधार फैसला है, वाद तन्वील हाशिल दफ्तर
 है। डिफेंड का दावा खासि जारी है।

विषय सरल सेवा केन्द्र सांझा से
 सुनाया गया।


 सदस्य
 नाव अदालत
 सरवाइ


 सदस्य
 नाव अदालत
 सरवाइ

5 /
 उपखण्ड अधिकारी
 सरवाइ जिला-अजमेर